



HAMIRPUR POLICE



थाना मौदहा

दिनांक 22.08.2023



Meticulous Investigation & Prosecution

HAMIRPUR POLICE



"प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,00,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी।"



#OperationConviction के तहत पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में की गई सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत **मु०अ०सं०-345/2018, धारा-302, 504 भा०द०सं०** के अभियोग में आरोपी को सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय डीजे कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा **अभियुक्त रमजान खान पुत्र लाल खां नि० ग्राम गुरदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को आजीवन कारावास व 1,00,000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।**

DGC
राजेश
शुक्ला



विवेचक नि०
श्री विक्रमाजीत
सिंह



पैरोकार
का०

शुभम कुमार

